भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुड़/खजूर से बनी गुड़ की इकाइयां

1185. श्री ए.के.पी.चिनराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में गन्ने से बने गुड़/ खजूर से बने गुड़ की इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन इकाइयों ने 2006 में खाद्य सुरक्षा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 55 के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे गन्ने से बने गुड़/ खजूर से बने गुड़ इकाइयों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है; और

(घ) क्या एफएसएसएआई का उन गन्ने से बने गुड़/ खजूर से बने गुड़ की इकाइयों के मालिकों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने का विचार है, जिनसे दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान तमिलनाडु राज्य में मिलावटी गुड़ जब्त किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि देश भर में गन्ने से बने गुड़/खजूर से बने गुड़ की इकाइयों की सूचियों का ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, आज की दिनांक तक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु के आदेश के अनुसरण में अनुपालन रिपोर्ट निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिले का नाम	गुड़ इकाइयों की कुल संख्या	सीसीटीवी लगाए जाने वाले का विवरण
1.	सलेम	158	128 ने लगाए 30 अभी तक नहीं लगाए
2.	इरोड	54	45 ने लगाए, 9 अभी तक नहीं लगाए
3.	करूर	2	सभी इकाइयों ने सीसीटीवी लगाए
4.	नमक्कल	115	सभी इकाइयों ने सीसीटीवी लगाए
5.	थूथुक्कुडी	40	40 इकाइयों ने अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाए

सेलम और इरोड जिलों में उन सभी यूनिटों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 के अंतर्गत नोटिस दिए गए थे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं।

(घ): खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 तथा बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत उपबंधों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्यत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानकों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफएसएसएआई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की जाच, निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना लेता है। जिन मामलों में गुड़ सहित खाद्य नमूने घटिया होने के साथ-साथ अननुरूप पाए जाते हैं, वहां चूककर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****